न्यायालयः- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सैंपऊ धौलपुर

पीठासीन अधिकारी	-	**रेणु कुमारी गोयल, आर.जे.एस.**
दीवानी वाद संख्या	-	27/2022
सीआईएस नंबर	-	27/2022
सीएनआर नंबर	-	RJDH150000782022

नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री पंचम सिंह आयु लगभग 40 वर्ष जाति कुशवाहा निवासी प्रताप भवन औडेला रोड़ जिरौली, धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर। **(दौराने विचारण वाद "मृत")**

1/1. रेखा पत्नी स्व० नरेन्द्र सिंह निवासी प्रताप भवन औडेला रोड़, जिरौली धौलपुर जिला धौलपुर।

1/2. आयुष पुत्र स्व० नरेन्द्र सिंह

1/3. देवांश पुत्री स्व० नरेन्द्र सिंह

1/4. आराध्या पुत्री स्व० नरेन्द्र सिंह

अल्पवयस्कगण द्वारा वादमित्र एवं स्वाभाविक संरक्षिका माता स्वयं रेखा पत्नी स्व० नरेन्द्र सिंह निवासी प्रताप भवन औडेला रोड़ जिरौली तहसील व जिला धौलपुर (राज०) **----वादीगण**

बनाम

1. श्रीमती कस्तूरी पत्नी श्री जालिम सिंह जाति कुशवाहा निवासी ग्राम पुरैनी का पुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (राज०)

2. श्रीमती किन्नो पत्नी श्री मोहन सिंह जाति काछी निवासी ग्राम पुरैनी का पुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर (राज०) **----प्रतिवादीगण**

वाद वास्ते यथावत पालना संविदा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित-

1. श्री श्रीकांत श्रीवास्तव, श्री कमल सिंह अधिवकतागण वादी की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश हैं।

निर्णय दिनांक- 12-03-2026

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र बाबत यथावत पालना संविदा एवं स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर के समक्ष दिनांक 08-02-2016 को प्रस्तुत किया गया, जो

तत्पश्चात अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर यहां दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. वाद द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वर्तमान वाद से संबंतिध विषयवस्तु कृषि भूमि खसरा नं. 16 क्षेत्रफल 01 बीघा 02 विस्वा, कृषि भूमि खसरा सं. 19 क्षेत्रफल 01 बीघा 01 विस्वा, कृषि भूमि खसरा सं. 44 क्षेत्रफल 17 विस्वा, कृषि भूमि खसरा सं. 45 क्षेत्रफल 18 विस्वा एवं कृषि भूमि खसरा सं. 54 क्षे. 01 बीघा 03 विस्वा कुल 05 संपूर्ण क्षेत्रफल 05 बीघा 01 विस्वा स्थित ग्राम पुरैनी तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर में है। वाद की आगामी चरणों में उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को विवादित भूमि से सम्बोधित किया गया है, तदुनुसार ही इसे पढ़ा एवं समझा जावे। विवादित कृषि भूमि के 1/5 भाग को तेजसिंह पुत्र श्री पंचा निवासी ग्राम पुरैनी का पुरा तहसील सैंपउ जिला धौलपुर संयुक्त रूप से अभिलिखित आधिपत्यधारी खातेदार कृषक भूमि के अन्य खातेदारान के साथ रहा। जिसे स्वयं के भाग भूमि को अंतरित करने के पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त रहे। उपरोक्त तेजसिंह ने दिनांक 04.12.2000 को विवादित भूमि के स्वयं के अधिकार खातेदारी बकदर हिस्सा 1/5 बिल एवज 40,000/-रूपये में वादी को विक्रय करने की संविदा वादी से सम्पन्न की। संविदा की आंशिक पालना करते हुए तेजसिंह ने दिनांक 04.12.2000 को संपूर्ण विक्रय मूल्य 40,000/- रूपये वादी से प्राप्त कर संविदा के अनुसार विवादित भूमि के स्वयं के 1/5 भाग को विक्रय करते हुये आवश्यक विक्रय पत्र स्वयं द्वारा क्रय स्टाम्पों पर निष्पादित किया। विक्रय पत्र को सुन, समझा कर तेजसिंह ने विक्रय पत्र पर स्वयं की निशानी अंगूठा अंकित की एवं साक्ष्य साक्षीगण कराई तथा विक्रय पत्र पर स्वयं का एवं वादी का छायांचित्र भी चस्पा कराया। विक्रय पत्र के निष्पादन हेतू तेजसिंह ने वादी के धन से 4,000/-रूपये के स्टाम्प क्रय किय गये स्टाम्पों पर स्वयं वादी की निशानी अंगूठा अंकित है। दिनांक 04.12.2000 को विक्रय पत्र निष्पादितहो जाने के उपरान्त समय अधिक हो जाने के कारण तथा उप पंजीयन कार्यालय सैंपउ बंद हो जाने के कारण विक्रय पत्र का पंजीयन उप पंजीयन कार्यायल, सैंपउ में संभव नहीं हो सका। दिनांक 04.12.2000 से वादी तेजसिंह से निरन्तर विधि सम्मत रूप से विक्रय पत्र पंजीबद्ध कराने हेतु आग्रह एवं अनुरोध करता रहा किंतु तेजसिंह वादी को विक्रय पत्र के पंजीयन कराने का आश्वासन देता रहा। आश्वासन देने के उपरांत भी तेजसिंह द्वारा विक्रय पत्र का पंजीयन संबंधित उप पंजीयन

कार्यालय में नहीं कराया गया। जिस समय तेजसिंह ने विक्रय पत्र निष्पादित किया। तत्समय विक्रय मूल्य पर 10 प्रतिशत के हिसाब से मुद्रांक शुल्क देय रहा। परिणामतः विक्रय पत्र 4000/-रूपये के स्टाम्पों पर निष्पादित हुआ, किंतु वर्तमान में मुद्रांक शुल्कों में बढ़ोतरी हो चुकी हे। वादी वर्तमान मुद्रांक की अदायगी पूर्व सटाम्पों को समायोजित करते हुये अदा करने हेतु सहमत एवं तत्पर है। वादी द्वारा अंतिम बार तेजसिंह से दिनांक 20.12.2002 कोविक्रय पत्र का पंजीयन कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। जिससे तेजसिंह असहमत हुआ और कथन किया कि वह स्वयं के अधिकार खातेदारी का विक्रय अन्य व्यक्तियों के पक्ष में करने जा रहा है, क्योंकि वे उसे अधिक विक्रय मूल्य अदा करने हेतु सहमत है। वादी के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र के अस्तित्व में रहते हुये तेजसिंह को स्वयं के अधिकार खातेदारी भूमि अन्य व्यक्तियों के पक्ष में विक्रय करने अथवा अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार सर्वथा नहीं रहा। विक्रय पत्र के अनुसरण में वाद प्राप्ति विक्रय मूल्य तेजसिंह वादी को विवादित भूमि के स्वयं के भाग की सीमा तक भूमि का आधिपत्यधारी विक्रय पत्र के दिवस बना चुका था। ऐसी परिस्थितियों में भी तेजसिंह को भूमि के अधिकार खातेदारी अंतरण करने तथा भूमि से वादी का आधिपत्य हटा कर अन्य व्यक्तियों का आधिपत्य कराने का अधिकार नहीं रहा। तेजसिंह द्वारा दिनांक 20.12.2002 को स्वयं के द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 04.12.2000 का पंजीयन उप पंजीयक, सैंपउ के यहां कराने से असहमत होने एवं भूमि का विक्रय अन्य व्यक्तियों के पक्ष में कराने की धमकी देने पर उसके विरूद्ध वाद कारण वादी को प्राप्त हुआ है। उपरोक्त परिस्थितियों में वादी ने तेजसिंह के विरूद्ध दिनांक 04.01.2003 को उक्ततः वर्णित संविदा की यथावत पालना हेतु वाद न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक, धौलपुर के समक्ष संस्थित किया जो दीवानी वाद सं. 01/2003 शीर्षक नरेन्द्र सिंह बनाम तेजसिंहपर पंजीबद्ध होकर दिनांक 31.05.2003 को एक पक्षीय रूप से तेजसिंह के विरूद्ध डिक्री हुआ। उक्त डिक्री वर्तमान में भी प्रभावी है, अन्य न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं हुई है। उपरोक्त वाद के निर्णय एवं डिक्री के अनुसरण में न्यायालय द्वारा वाद व्यय प्रकरण सति विरूद्ध तेजसिंह डिक्री करते हुए आदेशित किया कि वह संविदा जो कि प्रदर्श 01 के रूप में रही, की पालना निर्णय के एक माह के अन्दर वादी के पक्ष में विक्रय पत्र प्रदर्श 01 का पंजीयन वादी के व्यय पर कराये और उसके द्वारा ऐसा नहीं करने की अवस्था में वादी न्यायालय के

माध्यम से विक्रय पत्र प्रदर्श 01 का पंजीयन स्वयं के व्यय पर करो हेतु अधिकृत रहेगा। तेजसिंह द्वारा उपरोक्त डिक्री की पालना न करने एवं विक्रय पत्र का पंजीयन न कराये जाने की अवस्था में वादी द्वारा तेजसिंह के विरुद्ध इजराय शीर्षकीय नरेन्द्र सिंह बनाम तेजसिंह इजराय क्रमांक 01/2011 न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश(वरिष्ट खण्ड) महोदय, धौलपुर में संस्थित की गई। इजराय के अन्तर्गत अनुतोष चाहा गया कि तेजसिंह से आपेक्षित विश्य-पत्र का पंजीयन कराया जाये एवम् भाग भूमि का डिक्रीदार का आधिपत्य कराया जाये और तेजसिंह द्वारा विक्रय-पत्र का पंजीयन न कराये जाने की अवस्था में न्यायालय द्वारा डिक्रीदार के पक्ष में तेज सिंह की के ओर से विक्रय पत्र पंजीयन न कराये जाने की अवस्था में न्यायालय द्वारा डिक्रीदार के पक्ष मं तेजसिंह की ओर से विक्रय पत्र पंजीबद्ध कराने जाने की कृपा की जावे और जो व्यय प्रकरण रहा वादी को तेजसिंह से 2069/-रुपये वसूल कराते हुय डिक्रीदार को दिलाये जाने की कृपा करें। तेजसिंह नियमित दीवारी वाद क्रमांक 01/2003 वाद वास्ते यथावत पालना संवदा की डिक्री दिनांक 31-05-2003 जिसके अनुरसार तेजसिंह को विवादित भूमि के अधिकार खातेदारी का विक्रय पत्र वादी के पक्ष में पंजीबद्ध कराना आवश्यक रहा के, अस्तित्व में रहते हुए तेजसिंह द्वारा विवादित भूमि के स्वयं के अधिकार खातेदारी का विक्रय दिनांक 14-09-2004 को प्रतिवादी सं० 01 कस्तूरी को करते हुए अंतरित कर दिया गया। प्रतिवादी सं० 01 कस्तूरी ने विवादित भूमि के अधिकार खातेदारी जो उसने तेजसिंह से क्रय किये का विक्रय पत्र दिनांक 04-07-2005 को प्रतिवादी सं० 02 किन्नो के पक्ष में निष्पादित कर दिया। तेजसिंह द्वारा कस्तूरी के पक्ष में तथा कस्तूरी द्वारा किन्नों के पख में जो विक्रय पत्र विवादित कृषि भूमि के संबंध में किये गये, वह मूल दीवाी वाद शीर्षकीय नरेन्द्र सिंह बनाम तेजसिंह दीवानी वाद क्रमांक 01/2003 की डिक्री दिनांक 31-05-2003 के उपरांत किये गये। डिक्री पारित हो जाने के उपरांत तथा अनुबंध विक्रय के अस्तित्व में रहते हुए तथा इजराय के लम्बन काल में तेजसिह द्वारा कस्तूरी के पक्ष में तथा कस्तूरी द्वारा किन्नो के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किया जाना ना तो विधि सम्मत रहा और नाही सम्भव रहा। तेजसिंह द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र न्यायालय द्वारा सिद्ध अभिलेख स्वीकार किया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में जो अनुतोष वादी तेजसिंह से प्राप्त करने का अधिकारी रहा वह अनुतोष वादी पश्चातवर्ती क्रेताओं से प्राप्त कर पाने का अधिकारी रहा और

वर्तमान में भी प्राप्त कर पाने का अधिकारी है । चूंकि उपरोक्त विक्रय पत्र वादी द्वारा संस्थित इजराय शीर्षकीय नरेन्द्र सिंह बनाम तेजसिंह के लम्बन काल में एवं इजराय की प्रक्रिया के विचारधीन रहते हुये किये गये । ऐसी अवस्था में वादी द्वारा स्वयं की इजराय को संशोधित कराते हुय प्रतिवादी सं 01 कस्तूरी व प्रतिवादी सं० 02 किन्नो को आवेदन इजराय में पक्षकार बनाते हुये अनुतोष चाहा कि वादी जो अनुतोष बाबत निष्पादन एवं पंजीयन विक्रय पत्र तेजसिंह से करा पाने का अधिकारी रहा वह अब पश्चातवर्ती क्रेताओं श्रीमति पत्नी श्री जालिम से तथा श्रीमति किन्नो पत्नी श्री मोहनसिंह से प्राप्त करने का अधिकारी है और वांछित अनुतोष कस्तूरी एवं किन्नो से दिलाया जाये। उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा कस्तूरी एवं किन्नो के विरुद्ध कार्यवाही इजराय के नोटिस प्रसारित किये गये जिसके अनुसरण में दिनांक 18-04-2012 को कस्तूरी एवं किन्नो स्वयं एवं अपने अधिवक्ता श्री किरोडीलालयादव के माध्यम से उपस्थिति हुई और उत्तर आवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा । इस क्रम में दिनांक 17-05-2012 दिनांक 18-07-2012, दिनांक 04-09-2012 नियत रही किंतु उत्तर आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 09-10-2012 को किन्नो की ओर से अशोक सक्सेना अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय हुये और उत्तर आवेदन हेतु समय चाहा । इस क्रम में दिनांक 24-11-2012 नियत हुई । दिनांक 18-09-2013 को आवेदन आधीन आदेश 22 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता वास्ते बनाये जाने पक्षकार कस्तूरी एवं किन्नों स्वीकार हुआ । तदुपरांत संशोधित शीर्षक आवेदन इजराय प्रस्तुत हुआ । दिनांक 12-12-2013 को न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया कि आपेक्षित विक्रय पत्र का प्रारुप डिक्रीदार प्रस्तुत करें । चूंकि विक्रय पत्र का निष्पादन वाद के संस्थितकरण से पूर्व ही हो चुका था ऐसी अवस्था में मूल वाद की पत्रावली में तेजसिंह द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र वापिस प्राप्त करते हुये न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उसका पंजीयन कराने हेतु निवेदन किया गया और किसी प्रारुप विक्रय पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रही । दिनांक 16-01-2025 को न्यायालय द्वारा मूल विक्रय पत्र की प्रतिलिपि प्रारुप रुप में आधीन आदेश 21 नियम 34 सिविल प्रक्रिया संहिता कस्तूरी एवं किन्नो को भेजे जाने हेतु आदेश पारित हुये जिससे कि विक्रय पत्र के जंजीयन में उन्हें कोई आपत्ति हो तो उपस्थिति न्यायालय होकर प्रस्तुत करें । उक्त नोटिस का निर्वाह कस्तूरी एवं किन्नो पर हुआ । उक्त नोटिस का निर्वाह कस्तूरी एवं किन्नो पर दिनांक 20-02-2015 को हुआ

। इसके उपरांत दिनांक 28-02-2015, दिनांक 13-03-2015, दिनांक 17-03-2015 को ऋणीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 26-03-2015 को न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया कि पूर्व में आदेश 22 नियम 10 सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों के तहत तेजसिंह के स्थान पर कस्तूरी एवं किन्नो को पक्षकार बनाने हेतु आदेश दिया गया । जिस समय यह आदेश दिया गया उस समय वाद का निर्णय हो चुका था एवं इजराय आवेदन लंबित था । अतः उक्त दोनों को पक्षकार बना कर कार्यवाही इजराय की पालना कराया जाना उचित नहीं था। न्यायालय द्वारा यह भी आदेशित किया गया कि प्रकरण में दावा डिक्री हो जाने के पश्चात व इजराय कराये जाने से पूर्व तेजसिंह सम्पत्ति को कस्तूरी को विक्रय कर चुका था । जिसने किन्नो को विक्रय किया जो विधि के प्रावधानों के उचित नहीं है और उससे अवश्य ही डिक्रीदार के अधिकार जो उसे न्यायालय द्वारा दिलाये गये बाधित होता है, लेकिन पश्चातवर्ती क्रेताओं को नियमित वाद में सुने बिना उसनके विरुद्ध इजराय कराया जाना उचित नहीं है । ऐसी अवस्था में कार्यवाही इजराय पोषणीय नहीं रह जाती है। उपरोक्त आदेश में यह भी आदेशित किया गया है कि प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये डिक्रीदार/वादी पश्चातवर्ती क्रेताओं कस्तूरी एवं किन्नो के विरुद्ध तेजसिंह द्वारा किये गये विक्रय पत्रों को निरस्त कराये जाने के लिये वाद पेश करने हेतु अधिकृत रहेगा एवं वर्तमान विचारण काल में जो समय लगा है वह समय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पेश करने की अवस्था में लगा है वह समयावधि अधिनियम के अंतर्गत मुजरा किये जाने योग्य रहेगा । अर्थात् उक्त कार्यवाही में व्यतीत समय समयावधि में नहीं जाना जायेगा और वह अवधि परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो अवधि वाद पेश करने के निमित्त है वह उस अवधि में नहीं गिनी जायेगी। उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायालय के आदेशानुसार उपरोक्त विक्रय पत्रों कोजो तेजसिंह द्वारा कस्तूरी के पक्ष में एवं कस्तूरी द्वारा किन्नो के पक्ष में निष्पादित किये गये को निरस्त कराये जाने हेतु वाद संस्थित रहा है। उपरोक्त विक्रय पत्र विधि सम्मत नहीं रहे, क्योंकि वह वाद शीर्षकीय नरेन्द्र सिंह बनाम तेजसिंह दीवानी वाद क्रमांक 01/2003 की डिक्री दिनांक 31-05-2003 के पारित हो जाने के उपरांत अस्तित्व में आये हैं । ऐसी अवस्था में वे VOID ABNITIO है और वादी के विरुद्ध शून्य एवं प्रभावहीन एवं वादी के विरुद्ध निष्प्रभावी है। उपरोक्त विक्रय पत्रों को निरस्त कराया जाना वादी को आवश्यक नहीं है, क्योंकि बिना उक्त विक्रय पत्रों को निरस्त कराये वादी जो

अनुतोष मूल प्रतिवादी तेजसिंह से प्राप्त करने का अधिकारी रहा वह अनुतोष पश्चातवर्ती क्रेताओं से प्राप्त कर पाने का अधिकारी है, क्योंकि पश्चातवर्ती क्रेतागण तेजसिंह द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र से प्रतिबंधित है तथा प्रतिवादीगण तेजसिंह के स्थान पर स्थानापन्नहुये हैं तथा वादी विक्रय पत्रों को निरस्त करोय बिना भी प्रतिवादीगण से अनुतोष वास्ते यथावत पालना संवदिा प्राप्त कर पाने का अधिकारी है। चूंकि विक्रय पत्र वादी के पीठ पीछे उसके अज्ञानता में निष्पादित हुये हैं और वादी विक्रय पत्रों में पक्षकार नहीं रहा है । ऐसी अवस्था में वादी उक्त विक्रय पत्रों को अनेदखा करने में समक्ष है और बिना उन्हें निरस्त कराये जो अनुतोष प्रतिवादी तेजसिंह से प्राप्त करने का अधिकारी रहा वह पश्चातवर्ती क्रेताओं से प्राप्त करने का अधिकारी है और प्रतिवादीगण से तेजसिंह द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र के अनुसरण में तेजसिंह द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र की पालना प्रतिवादीगण से करा पाने का अधिकारी है और उनसे पूर्व अनुबंध की पालना कराते हुये विक्रय पत्र निष्पादित एवं पंजीबद्ध करा पाने का अधिकारी है। वादी प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से तेजसिंह द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र एवं अनुबंध कीपालना प्रतिवादीगणसेकराये जाने के परिणामस्वरुप अनुतोष के रुप में यह भी निवेदन करता है कि पश्चातवर्ती क्रेताओं के पक्ष में जो विक्रय पत्र निष्प्रभावी घोषित किये जायें । तेजसिंह का निधन बिना पत्नी एवं बिना संतान एवं बिना मनोनीत कियेउत्तराधिकारी हो चुका है और उसका कोई विधिक उत्तराधिकारी वादी के ज्ञान में एवं जानकारी में नहीं है । ऐसी अवस्था में तेजसिंह को पक्षकार बनाया जाना संभव नहीं है। वादी तेजसिंह द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र एवं संविदा विक्रय की पालना तेजसिंह एवं उसके पश्चातवर्ती क्रेताओं के मूल संविदा पत्र एवं विक्रय पत्र की पालना कराने हेतु मूल संविदा के दिवस से निरंतर सहमत एवं तत्पर रहा है वर्तमान में भी है । इस तथ्य की पुष्टि तेजसिंह के विरुद्ध संस्थित वाद के निर्णय एवं इजराय की कार्यवाही में वर्तमान प्रतिवादीगण को पक्षकार बनाये जाने के तथ्य से भली-भांति होती है । प्रतिवादीगण विवादित कृषि भूमि के अधिकार खातेदारी जो उन्होंने भूमि के पूर्व खातेदार कृषक से वाद विक्रय तेजसिंह प्राप्त किया को अंतरित करने का प्रयास कर रहे हैं । यदि वाद के विचारण काल में प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि का विक्रय अन्य व्यक्तियों के पक्ष में कर दिया तो वादी को अपरमति क्षति पहुंचेगी और अकारण मुकदमेबाजी बढेगी। ऐसी अवस्था में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिबंधित किया जाये कि वह विवादित भूमि का

विक्रय अथवा अन्य प्रकार से अंतरण अंश किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं करें । वादी विक्रय पत्र के निष्पादन हेतु आवश्यक मुद्रांक का भुगतान तेजसिंह तादादी 4,000/-रुपये अदा कर चुका था । जिससे स्टाम्प क्रय किये । यदि परिवर्तित मुद्रांक शुल्क के निमित्त आवश्यक मुद्रांक प्रचलित दर पर क्रय कर उन स्टाम्पों पर विक्रय पत्र प्रतिवादीगण से कराया जाये तो मुद्रांक राशि वादी को प्रतिवादीगण से दिलायी जावे । वाद के प्रस्तुतीकरण हेतु वादी के पक्ष में वाद कारण न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश एवं वरिष्ठ खण्ड महोदय, धौलपुर के आदेश दिनांक 28-03-2015 के अनुसरण में प्राप्त हो चुका है। उक्त आदेश में आदेशित किया गया कि वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध समक्ष न्यायालय में विधिवत कार्यवाही करने हेतु अधिकृत रहेगा। उक्त दिवस के बाद कारण निरंतर जारी हैं। वाद का मूल्यांकन वास्ते स्थिर करने क्षेत्राधिकार न्यायालय एवं अदायगी न्याय शुल्क 40,000/-रुपये जो विक्रय मूल्य की राशि पर निर्धारित किया जाकर 2450 रुपये का न्यायशुल्क अदा किया जाता है जो यथेष्ठ है। वाद के स्वभाव एवं वांछित अनुतोष, पक्षकारों के निवास तथा भूमि की स्थिति के अनुसार न्यायालय श्रीमान् सिविल न्यायाधीश महोदय, धौलपुर को वाद के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। न्यायालय श्रीमान् महोदय, धौलपुर के आदेश दिनांक 28-03-15 जो उनके द्वारा इजराय शीर्षकीय नरेन्द्र सिंह बनाम तेजसिंह आदि में पारित किये गये से अंदरर अवधि प्रस्तुत किये जाने के परिणामस्वरुप वाद वादी अवधि अंतर्गत प्रस्तुत है। वादी की द्वितीय प्रति एवं वाद कथनों के समर्थन में शपथ पत्र वादी संलग्न है। अंत में वादीगण द्वारा अपना वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण व्यय प्रकरण सहित निम्न प्रकार से डिक्री किये जाने का निवेदन किया :-

(1) यह कि प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाये कि वे तेजसिंह द्वारा निष्पादित अनुबंध एवं विक्रय पत्र दिनांक 04-02-2000 की पालना करते हुये निष्पादित कृषि भूमि खसरा नं. 16 क्षेत्रफल 01 बीघा 02 विस्वा, कृषि भूमि खसरा सं. 19 क्षेत्रफल 01 बीघा 01 विस्वा, कृषि भूमि खसरा सं. 44 क्षेत्रफल 17 विस्वा, कृषि भूमि खसरा सं. 45 क्षेत्रफल 18 विस्वा एवं कृषि भूमि खसरा सं. 54 क्षे. 01 बीघा 03 विस्वा कुल 05 संपूर्ण क्षेत्रफल 05 बीघा 01 विस्वा स्थित ग्राम पुरैनी तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर की 1/5 भाग का विक्रय वादी के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीबद्ध कार्यालय उप पंजीयक सैंपऊ में नियमानुसार व विधिपूर्वक कराये और विक्रय पत्र के अनुसरण में वादी को विवादित भूमि का आधिपत्यधारी बनाया जावे।

(2) यह कि पूर्व प्रस्तुत मुद्रांक शुल्क जो वादी द्वारा पूर्वमें अदा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त२ यदि कोई स्टाम्प मुद्रांक शुल्क जो वादी को अदा करना पडे उसकी राशि प्रतिवादीगण से वादी को दिलाये जाने की कृपा करें।

(3) यह कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिबंधित किया जाये कि वह विवादित भूमि के 1/5 भाग भूमि का विक्रय अथवा अंतरण अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में ना करें।

(4) यह कि प्रतिवादीगण द्वारा तेजसिंह द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र की पालना कराये जाने के परिणामस्वरुप परिणामजन्य अनुतोष के रुप में जो विक्रय पत्र तेजसिंह द्वारा कस्तूरी के पक्ष में एवं कस्तूरी द्वारा श्रीमति किन्नो के पक्ष में विवादित भूमि के संबंध में निष्पादित किये गये हैं, को वादी के विरुद्ध निष्प्रभावी एवं शून्य घोषित किये जाने की कृपा करें।

(5) यह कि अन्य अनुतोष जो हित वादी एवं न्याय संगत हो, वह भी प्रदान किया जावे।

3. प्रतिवादी सं० 02 ने वादीगण के कथनों का विरोध करते हुए अपना जवाब दावा पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य यह है कि तेज सिंह ने विवादित भूमि के स्वंय के 1/5 एक बटा पाँच भाग को विक्रय करने हेतु वादी से कभी कोई संविदा नहीं की। तेज सिंह ने ना तो प्रतिफल राशि प्राप्त की तथा ना ही विक्रय पत्र निष्पादित किया। तेज सिंह ने कोई मुद्रांक क्रय नहीं किये। जब विक्रय पत्र किया ही नहीं गया तो उसके पंजीयन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जब तेज सिंह व वादी के मध्य कोई संविदा नहीं हुई तथा ना ही तेज सिंह ने कोई विक्रय पत्र निष्पादित किया तो उसके द्वारा पंजीयन कराने का आश्वासन देने का प्रश्न ही नहीं उठता। वादी व उत्तरदाता के मध्य कोई वार्तालाप नहीं हुआ। जब तेज सिंह द्वारा तथाकथित कोई विक्रय पत्र किया ही नहीं गया तो उसके अधिकार समाप्त होने का प्रश्न नहीं उठता। वादी को कोई कब्जा नहीं सौंपा गया तथा ना ही उसका कब्जा है। वादी को कोई वाद कारण प्राप्त नहीं हैं। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की डिक्री दिनांक 31.05.2003 के विरूद्ध अपील क्रमांक 10/2015 उनवानी किन्नो बनाम नरेन्द्र न्यायालय श्रीमान् जिला जज महोदय, धौलपुर के समक्ष विचाराधीन हैं। जिस कारण उक्त डिक्री को अंतिम नहीं माना जा सकता। वाद पत्र की मद क्रमांक 15 स्वीकार है परन्तु उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध

अपील लम्बित है। तेज सिंह द्वारा कस्तूरी को विक्रय करने का तथ्य स्वीकार है। उभय विक्रय पत्र पूर्णतः विधि सम्मत व प्रभावी है। उत्तरदाता ने कोई अभिभाषक नियुक्त नहीं किया। दिनांक 20.02.2015 को ही उत्तरदाता को समस्त प्रकरण की जानकारी हुई थी। वादी विक्रय पत्र निरस्त करा पाने का अधिकारी नहीं हैं। मद क्रमांक 31 वाद पत्र में जहाँ वादी यह कथन करता है कि वह विक्रय पत्रों को निरस्त कराने हेतु यह वाद प्रस्तुत कर रहा है वहीं इस मद में वह अंकित कर रहा है कि विक्रय पत्रों को निरस्त कराये जाना आवश्यक नहीं हैं। वादी उत्तरदाता के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। वाद पत्र की मद क्रमांक 45 वाद पत्र तकमीली है रजिस्टर्ड पता उत्तरदाता भी प्रस्तुत है।

4. प्रतिवादी सं० 02 अपने जवाब दावे में अतिरिक्त कथनों में कथन करता है कि - वादी का मुख्य आधार तेज सिंह द्वारा निष्पादित तथाकथित विक्रय पत्र एवम् उसके आधार पर न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय, धौलपुर द्वारा दिनांक 31.05.2003 इक्तीस मई सन् दो हजार तीन को पारित निर्णय व डिक्री है। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रार्थीया की अपील क्रमांक 10/2015 उनवानी किन्नो बनाम नरेन्द्र न्यायालय श्रीमान् जिला जज महोदय, धौलपुर के समक्ष विचाराधीन है जिस कारण मौजूदा वाद पोषणीय नहीं हैं। वादी ने तेज सिंह द्वारा कस्तूरी के हक में तथा कस्तूरी द्वारा उत्तरदाता के पक्ष में किये गये विक्रय पत्रों को शून्य व निष्प्रभावी घोषितकिये जाने का अनुतोष चाहा है, परन्तु उस पर कोई न्याय शुल्क अदा नहीं किया है जिस कारण वाद वादी पोषणीय नहीं हैं। तेज सिंह द्वारा कस्तूरी को 40,000/- रूपये प्रतिफल एवम् कस्तूरी द्वारा उत्तरदाता को 1,00,000/- रूपये प्रतिफल की एवज में विवादित आराजी विक्रय की गई जिसकी कुल राशि 1,40,000/- रूपये होती है जिस कारण न्यायालय श्रीमान् को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं हैं। अंत में निवेदन किया कि वाद पत्र वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

05. उभयपक्षकारान के अभिवचनों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विवाद्यक कायम की गईः-

1. क्या वादी वाद पत्र के मद संख्या-1 में वर्णित विवादित भूमि के 1/5 भाग (तेजसिंह के हिस्से) का विक्रय पत्र दिनांकित 4.12.2000 का निष्पादन एवं पंजीयन अपने हक में कराने का अधिकारी है, यदि पंजीयन में

अतिरिक्त न्याय शुल्क अदा करना पड़े तो प्रतिवादीगण से दिलाये जाने का अधिकारी है? **--वादी**

2. क्या वादी उक्त विक्रय पत्र की पालना में सदैव तैयार व तत्पर रहा? **--वादी**

3. क्या वादी प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है कि वह विवादित भूमि के 1/5 भाग (तेजसिंह के हिस्से) का विक्रय अथवा अन्तरण अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं करें? **--वादी**

4 क्या वादी तेजसिंह द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र की पालना कराये जाने के परिणामस्वरूप परिणामजन्य अनुतोष विक्रय पत्र को शून्य व निष्प्रभावी घोषित कराने का अधिकारी है? **--वादी**

5. क्या वादी द्वारा पूर्ण न्याय शुल्क अदा नहीं किया गया है ?

--प्रतिवादीगण

6. क्या न्यायालय को यह वाद सुनने का श्रवणाधिकार नहीं है?

--प्रतिवादीगण

7. अनुतोष ?

06. प्रतिवादी के उपस्थित नहीं आने पर उसके विरुद्ध दिनांक **18-12-2025** को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। साक्ष्यवादी में पी0डी01 रेखा कुशवाह, पी0डी02 पंचम सिंह, पी0डी03 हजारीलाल के बयान लेखबद्ध किए गए एवं दस्तावेजी साक्ष्य में बयनामा प्रदर्श 01, निर्णय सिविल न्यायाधीयश (वरिष्ठ खण्ड), धौलपुर प्रदर्श 02, डिक्री सिविल न्यायाधीयश (वरिष्ठ खण्ड), धौलपुरप्रदर्श 03 संशोधित आवेदन इजराय डिक्री प्रदर्श 04, न्यायालय सिविल न्यायाधशी (वरिष्ठ खण्ड) धौलपुर की आदेशिका प्रदर्श 05, हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना का पत्र प्रदर्श 06 व 06, वकालतनामा प्रदर्श 08, बयनामा विक्रेता तेजसिंह व क्रेता कस्तूरी की प्रतिलिपि प्रदर्श 09, बयनामा विक्रेता कस्तूरी व क्रेता किन्नो की प्रतिलिपि प्रदर्श 10, जमाबंदी की प्रति प्रदर्श 11, नामांतरण की प्रति ग्राम पूरैनी आधार वर्ष 2005 प्रदर्श 12, नामांतरण की प्रति ग्राम पूरैनी आधार वर्ष संवत 2065-2068 प्रदर्श 13, नामांतरण की प्रति ग्राम पूरैनी आधार वर्ष 2006 प्रदर्श 14, जमाबंदी ग्राम पुरैनी आधार वर्ष 2065-2068 प्रदर्श 15, जमाबंदी ग्राम पुरैनी आधार वर्ष

2061-2064 प्रदर्श 16, अपील निर्णय प्रदर्श 17, अपील डिक्री प्रदर्श 18 को पेश किया।

7. बहस अंतिम एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने कथन किया कि वादी का वाद पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी के विरुद्ध दावा बाबत वास्ते यथावत पालना संविदा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश हैं। वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से उसका दावा साबित है। जिसका कोई खंडन नहीं हुआ है। अतः वाद स्वीकार कर वांछित अनुतोष दिये जाने का निवेदन किया।

8. बहस अंतिम एकपक्षीय के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में विरचित विवाद्यकों बाबत न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार हैः-

<u>विवाद्यक संख्या-01,</u>

1. क्या वादी वाद पत्र के मद संख्या-1 में वर्णित विवादित भूमि के 1/5 भाग (तेजसिंह के हिस्से) का विक्रय पत्र दिनांकित 4.12.2000 का निष्पादन एवं पंजीयन अपने हक में कराने का अधिकारी है, यदि पंजीयन में अतिरिक्त न्याय शुल्क अदा करना पड़े तो प्रतिवादीगण से दिलाये जाने का अधिकारी है?

9. उक्त विवाद्यक को सिद्व करने का भार वादी पर था । उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में बहस एकतरफ सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गयवा। संबंधित विधि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता वादी के तर्क अने वाद पत्र के अभिवचनों के अनुरुप ही रहे हैं। इस विवाद्यक के संबंध में वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य हेतु स्वयं का शपथ पत्र व पंचम सिंह व हजारीलाल के शपथ पत्र के साथ अपने वाद पत्र में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए दस्तावेजी साक्ष्य में बयनामा प्रदर्श 01, निर्णय सिविल न्यायाधीयश (वरिष्ठ खण्ड), धौलपुर प्रदर्श 02, डिक्री सिविल न्यायाधीयश (वरिष्ठ खण्ड), धौलपुरप्रदर्श 03 संशोधित आवेदन इजराय डिक्री प्रदर्श 04, न्यायालय सिविल न्यायाधशी (वरिष्ठ खण्ड) धौलपुर की आदेशिका प्रदर्श 05, हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना का पत्र प्रदर्श 06 व 06, वकालतनामा प्रदर्श 08, बयनामा विक्रेता तेजसिंह व क्रेता कस्तूरी की प्रतिलिपि प्रदर्श 09, बयनामा विक्रेता कस्तूरी व क्रेता किन्नो की प्रतिलिपि प्रदर्श 10, जमाबंदी की प्रति प्रदर्श 11,

नामांतरण की प्रति ग्राम पूरैनी आधार वर्ष 2005 प्रदर्श 12, नामांतरण की प्रति ग्राम पूरैनी आधार वर्ष संवत 2065-2068 प्रदर्श 13, नामांतरण की प्रति ग्राम पूरैनी आधार वर्ष 2006 प्रदर्श 14, जमाबंदी ग्राम पुरैनी आधार वर्ष 2065-2068 प्रदर्श 15, जमाबंदी ग्राम पुरैनी आधार वर्ष 2061-2064 प्रदर्श 16, अपील निर्णय प्रदर्श 17, अपील डिक्री प्रदर्श 18 को पेश करते हुए वाद पत्र में वर्णित अनुतोष दिलाये जाने का निवेदन किया। वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में गवाह पी०ड० 01 रेखा कुशवाह को परीक्षित करवाया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि उसने बतौर साक्षी अपना शपथ पेश किया है। जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने वाद पत्र के साथ बयनामा के तेजसिंह ने उसके पति के हक में दिनांक 04-12-2000 को निष्पादित किया था। वादी द्वारा उक्त दस्तावेजी पर प्रदर्श अंकित करने का निवेदन किया गय, जिस पर प्रतिवादी के अधिवक्ता ने आपत्ति प्रस्तुत की । आपत्ति एवं उसके प्रत्युत्तर पर विचार कर दस्तावेज को प्रदर्शित करने की अनुमति दी गई और प्रदर्श 01 अंकित किया गया । तेजसिंह ने 5 बीघा भूमि में से अपना 1/5 हिस्सा बेचने की बात कही थी ,जिसके लिये 40,000/- रुपये तय हुए थे। मौके पर हजारी, नरेश, उसका पति व ससुर पंचम सिंह उपस्थित थे तथा उसके बाद लिखा-पढ़ी के लिये कचहरी चले गए। वकील साहब राजेन्द्र सिंह राणा ने बयनामा कागज पर बनाया था तथा जिसे तेजसिंह, हजारीलाल व नरेन्द्र सिंह को पढ़कर सुनाया था। जिसको सही होना स्वीकार किया जिसके उपरांत 4,000/- उसक पति से लेकर तेजसिंह स्टाम्प लेकर आया था। जिस पर वकील साहब ने बयनामा टाईप करवाया तथा टाईप होने के पश्चात पुनः तेजसिंह को विक्रय पत्र पढकरसुनाया तथा उस वक्त मौके पर नरेन्द्र सिंह, हजारीलाल व उसका पति उपस्थित था। बयानामा प्रदर्श 01 पर एक्स स्थान पर व बयनामा के प्रत्येक पृष्ठ पर तेजसिंह ने अपना अंगूठा निशानी किया तथा विक्रय पत्र के गवाह नरेश सिंह ने सी से डी स्थान पर हस्ताक्षर, हजारी लाल के ई से एफ हस्ताक्षर किये। उस समय 5 बजे चुके थे इसलिए बयनामा निष्पादित नहीं हो सका । उक्त विक्रय पत्र प्रदर्श 01 पर ए स्थान पर उसके पति की फोटो है, जो विक्रय पत्र पर पृष्ठ पर चस्पा है। उसके पति ने दावा के संबंध में सिविल न्यायालय (वरिष्ठ खण्ड), धौलपुर में मुकदमा उनवान नरेन्द्र सिंह बनाम तेजसिंह प्रकरण सं० 01/2003 की फोटो प्रति पेश की थी। उक्त मुकदमे का फैसला दिनांकित 31-03-2003 को उसके पति के

पक्ष में हुआ था जिसकी प्रति प्रदर्श 02 व उसकी डिक्री की प्रति प्रदर्श 03 है, इजराय नरेन्द्र बनाम तेजसिंह इजराय सं० 01-2011 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 04, इजराय की कार्यवाही की ऑर्डरशीट की प्रति प्रदर्श 05, इजराय की सूचना वास्ते कस्तूरी देवी नोटिस प्रदर्श 06, इजराय में किन्नो के लिये जारी नोटिस प्रदर्श 07, इजराय में किन्नो व कस्तूरी देवी की तरफ से अधिवक्ता किशोरीलाल जाटव व गजेन्द्र सिंह का वकालतनामा प्रदर्श 08, तेजसिंह द्वारा कस्तूरी के हक में किया गया विक्रय पत्र दिनांकित 14-09-2004 जो दिनांक 15-09-2004 को पंजीबद्ध हुआ कि प्रति प्रदर्श 09, कस्तूरी द्वारा किन्नो के हक में किये गये विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 10, जमाबंदी ग्राम पुरैनी संवत 57-60 तेजसिंह के खाते की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 11 तथा नामांतरण की प्रति प्रदर्श 12 है जो कि तेजसिंह के बजाय कस्तूरी के नाम हुआ था तथा नामांतरण कस्तूरी बजाय किन्नो के नाम हुआ जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 13 है तथा नामांतरण की प्रति ग्राम पूरैनी आधार वर्ष 2006 प्रदर्श 14, जमाबंदी ग्राम पुरैनी आधार वर्ष 2065-2068 प्रदर्श 15, जमाबंदी ग्राम पुरैनी आधार वर्ष 2061-2064 प्रदर्श 16, अपील निर्णय प्रदर्श 17, अपील डिक्री प्रदर्श 18 है। **गवाह जिरह में कथन करता है कि** विवादित आराजी ग्राम पुरैनी की आराजी है जिसके कुल 5 खेत हैं। विवादित जमीन का सौदा करने के लिये नरेन्द्र सिंह उनके घर दिनांक 04-12-2000 को आये थे तथा नरेन्द्र सिंह व उसके पति के दोस्त थे एवं घर आते-जाते थे। उक्त जमीन का सौदा करने के वक्त तेजसिंह, नरेश, हजारी लाल, उसके पति व उसके ससुर मौजूद थे। यह कहना गलत है कि दिनांक 04-12-2000 से पूर्व तेजसिंह ने विवादित आराजी के विक्रय बावत कोई बातचीत नहीं हुई हो क्योंकि पूर्व में हुई थी, क्योंकि वह उसके घर आते जाते थे यह मेरी जानकारी में नहीं है कि तेजसिंह ने विवादित आराजी के सौदे की बात कई दिनों से चल रही थी। विक्रय पत्र 04-12-2000 को हुआ था जो मेरे संज्ञान में हुआ था क्योंकि मेरे पति मुझसे पैसे लेने आये थे, वह तेजसिंह के साथ आये हुये व्यक्ति हजारीलाल को नहीं जानती थी। मुझे याद नहीं है कि तेजसिंह व हजारीलाल कहां के रहने वाले हैं। मुझे पता है कि तेजसिंह व मेरे पति नरेन्द्र सिंह के बीच कचहरी में क्या बात हुई थी मुझे पता है क्योंकि मेरे पति नरेन्द्र सिंह ने मुझे बताई थी जो रंजिश बताई थी मेरे पति ने बताया कि उन्होंने तेजसिंह से 40,000/- रुपये में 1/5 हिस्सा तेजसिंह ने नरेन्द्र सिंह को बेचना चाहता है। उन्होंने कहा था कि इस बावत कागज तैयार करा लिये

हैं, वह स्टाम्प पेपर 4,000/- रुपये में उसके पति से लेकर तेजसिंह खरीद कर लाये थे और 40,000/- रुपये नरेन्द्र सिंह ने तेजसिंह, राजेन्द्र सिंह राणा वकील साहब के सामने दिये थे। उस वक्त हजारी और नरेश सिंह भी मौजूद थे। स्टाम्प पर उसके पति व तेजसिंह के फोटो लगे हुये थे वह स्टाम्प था उसके मेरे पति के हस्ताक्षर थे व तेजसिंह की अंगूठा निशानी थी तेजसिंह ने वह बयनामा दिखाया था। उसके घर उसके पति व तेजसिंह वगै० 9.30 या 10 बजे के करीब घर पर ही पहुंचे थे। मैंने यह जांच तो नहीं की कि तेजसिंह विवादित आराजी का मालिक है या नहीं लेकिन उसके ससुर साहब व मेरे पति ने की थी। यह बात सही है कि पुरैनी गांव तहसील सैंपऊ में पड़ता है। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि तहसील सैंपऊ गांव की रजिस्ट्री धौलपुर में होती है या नहीं लेकिन जिला धौलपुर लगता है। प्रदर्श 01 बयनामा के स्टाम्प चम्पाराम नाम के व्यक्ति से धौलपुर से खरीदे थे। राजेन्द्र सिंह राना वकील साहब धौलपुर में बैठते हैं, लेकिन अगर सैंपऊ में भी बैठते हों यह मेरी जानकारी में नहीं है। यह बात सही है कि हम दोबारा बयनामा का पंजीयन कराने हेतु सैंपऊ आये थे लेकिन कार्यालय बंद था। मेरे पति नरेन्द्र सिंह घर पर समय करीब 6 बजे या 6.30 बजे धौलपुर पहुंच गये थे। अगले दिन भी हम पंजीयन कराने के लिए सैंपऊ आये थे। पंजीकृत कार्यालय सैंपऊ आने से पहले हमारी बातें तेजसिंह से हुई थी कि हम कार्यालय पहुंच रहे हैं और उन्होंने फोन पर आश्वासन दे दिया कि मैं आ रहा हूं लेकिन वह वहाँ पर नहीं आये थे। जब उसकी तेजसिंह से बात हुई थी तब वह अपने घर पर थी। मुझे याद नहीं है कि हमने तेजसिंह को किस जगह से फोन किया था। सन 2000 में मेरे घर पर फोन था यह कहना सही है कि हमने S.T.D से फोन किया था। दूसरे दिन उसके पति उसके घर से उसके ससुर को लेकर निकले थे और किसको साथ लेकर गये थे और किस वाहन से गए थे, यह उसे याद नहीं है। पुरैनी गांव सैपऊ से आने वाले गांव जाकी के पास पड़ता हो यह उसकी जानकारी में नहीं है। यह सही है कि उसके पति व ससुर के मध्य संबंध मधुर थे। उसे जानकारी नहीं है कि बयनामा प्रदर्श 01 पर उसके ससुर के हस्ताक्षर क्यों नहीं कराये थे। उसने सन् 2000 से लेकर सन् 2003 तक तेजसिंह को कोई नोटिस नहीं दिया और ना ही उसकी जानकारी में है कि उसकी मृत्यु किस दिनांक को हुई थी। तेजसिंह ने उन्हें खेत के कागज बताये थे, जिसमें उसका हिस्सा 1/5 है जिसे उसे बेचने का पूरा हक है। तेज सिंह ने उक्त कागज को कब दिखाया उसकी जानकारी में नहीं है। तेजसिंह ने

अंगूठा निशानी करने के बाद कहा था कि अब यह खेत तुम्हारा है तथा कब्जा कब सौंपा यह उसे याद नहीं है। खेत तुम्हारा यह वाली बात उसने कचहरी परिसर में कही थी। तेजसिंह की मृत्यु के बाद कस्तूरी व किन्नो पर दावा हुआ था, झगडे का उसे नहीं पता तथा किन्नो व कस्तूरी को यह पता था कि विवादित खेत तेजसिंह ने नरेन्द्र सिंह को बेच दिया है, यह बात उसके ससुर साहब ने बताई थी कि कस्तूरी व किन्नो एक ही परिवार की हैं। दिनांक 14-11-2004 को बयनामा हो गया वाली बात उसके पति ने उसे बताई थी। प्रदर्श 02 में किये गये दावे में तेजसिंह हाजिर हुआ था या नहीं, यह उसके पति को पता होगी। उसके पति द्वारा किये गये दावे का फैसला दिनांक 31-05-2003 डिक्री उनके पक्ष में हुआ था। उसे उसके हक में हुए फैसले की तारीख आज याद नहीं है। दूसरा बयनामा कस्तूरी को तेजसिंह ने किया था जो उसे करने का हक नहीं था, क्योंकि वह पहला बयनामा उनके हक में कर चुका था। उसे अपने बयनामा की पता है कि कितने रुपये में और किस तारीख को हुआ था, लेकिन उसे दूसरे के बयनामा के बारे में नहीं पता है। कस्तूरी ने उक्त आराजी में से उसके हक में किया गया हिस्सा किन्नो को बेच दिया था। 2002 में उसके पति नरेन्द्र से मिले थे या नहीं उसे नहीं पता तथा कस्तूरी व किन्नो से वह भी कभी नहीं मिली। विवादित आराजी एक ही जगह है जो आपस में लगी हुई है या नहीं उसे नहीं पता। उक्त विवादित आराजी को कस्तूरी व किन्नो कर रही हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। उसके पति के हक में तेज सिंह ने जो बयनामा किया था वह उपपंजीयक कार्यालय में जमा क्यों नहीं कराया, उसे नहीं पता। उसके पति ने दावा करने से पूर्व कस्तूरी व किन्नो से बात की थी या नहीं उसे नहीं पता। यह कहना गलत है कि उन्होंने दावा करने से पूर्व कस्तूरी व किन्नो को जरिये अधिवक्ता कोई नोटिस दिया हो तथा वे नोटिस उसने दावे के साथ पेश किये हैं फिर कहा कि उसे जानकारी नहीं है, वकील साहब को होगी। उन्होंने दावा इसलिए किया है कि तेजसिंह द्वारा जो बयनामा उनके हक में किया था वह उनके नाम हो जाये। यह सही है कि वाद पत्र के पेज नं० 18 की मद सं. 4 का ए से बी सही लिखी गई है। उसे नहीं पता कि कस्तूरी व किन्नो के हक में बयनामा में कीमत कितनी लिखी गई है। यह सही है कि तेजसिंह के द्वारा उसके पक्ष में होना कथन किया है, उसक पांच नंबर ही हैं। उसे जानकारी नहीं है कि कस्तूरी के हक में हुए बयनामा प्रदर्श 09 में 6 नंबरों का बयनामा है। यह दस्तावेज प्रदर्श में उसने ही पेश किये हैं। यह बात सही है कि प्रदर्श

9 को पढ़कर ही पेश किये थे। प्रदर्श 9 व A से B में विवादित सम्पत्ती 6 नम्बर व मूल्य 1 लाख 10 हजार लिखा है। वह लाखन सिंह व बहादुर सिंह को नहीं जानती है वह दीप्ती और पूरन सिंह को ही नहीं जानती है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं बयनामा के गवाह हजारीलाल व नरेश सिंह से तेजसिंह को बयनामा कराने की बात कही थी या नहीं। क्रय करने का सौदा उसके पति व ससुर ने किया था, मुझे याद नहीं है, फिर कहा कि बी से याद आ गया है कि कस्तूरी के हक में बयनामा 14-09-2004 में हो गया था। उसके ससुर हजारीलाल और नरेश को जानते थे या नहीं, उसे नहीं पता, उसके ससुर को पता होगी, लेकिन उसके पति दोनों को जानते थे। यह सही है कि विवादित जमीन पर किन्नो का कब्जा है। यह गलत है कि तेजसिंह ने कोरे स्टाम्पों पर अंगूठा निशानी की हो, बल्कि लिखे हुए कागजों पर किए थे। विक्रय पत्र का मध्यस्थ राजेन्द्र सिंह राणा वकील साहब थे, जिन्होंने तेजसिंह को बयनामा पढ़कर सुनाया था, बयनामा धौलपुर कचहरी में तैयार करवा कर 04:30 बजे या 5 बजे निकले थे, सही तारीख उसे याद नहीं है। उसे ठीक से याद नहीं है कि सैंपऊ कचहरी में कौनसी गाडी से आये थे, लेकिन चार पहिया की गाडी थी, गाडी से आये थे, लेकिन धौलपुर कचहरी में मोटरसाईकिल से गई थी, कितनी मोटरसाईकिल थी, किन-किन की थी, उसे नहीं पता। उससे ससुर साहब के पास चार पहिया वाहन था। यह कहना गलत है कि उनके द्वारा फर्जी विक्रय पत्र तैयार किया गया हो।

10. इसके अतिरिक्त वादी द्वारा पी०ड० 02 पंचम सिंह को परीक्षित करवाया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह इस प्रकरण के तथ्यों से भली-भांति परिचित है तथा उसने अपना साक्ष्य वादी में शपथ पत्र भी पेश किया। जिसने उस पर ए से बी स्थान पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है। **गवाह जिरह में कथन करता है कि** दावा इस बात पर किया गया है कि तेज सिंह ने अपने हिस्से की जमीन बेची थी, जमीन पुरैनी के पुरा में थी जो जमीन 5 बीघा 1 बिस्वा की खसरा नं. 16, 1 बीघा 2 बिस्वा खसरा नं. 17 व 1 बीघा 1 बिस्वा खसरा नं. 44 व 45 जिसमें 44 में 12 बिस्वा था व 45 में 18 बिस्वा था, जिसमें 54 खसरा नं. 1 वीघा 3 बिस्वा कुल रकबा 8 वीघा 7 बिस्वा है। इस जमीन का सौदा उसके पुत्र नरेन्द्र सिंह ने किया था। इस जमीन का सौदा सन 2000 से 8-10 दिन पूर्व हुआ था। सौदे के समय वह स्वंय व उसका लड़का, पुत्रवधू व हजारी भी मौजूद थे। सौदा 40,000/- रुपये में तय हुआ था। सौदा के तुरंत बाद ही बयानामा कराना तय हुआ था

सौदे के 8,10 दिन बाद ही बयानामा किया गया था। जमीन का सौदा जिरौली में पप्पु जाट के मकान में तय हुआ था, जिसके मैं पहले रहता था। तेजसिंह को हजारी साथ लेकर आया था जिसका कोई रिश्तेदार था। यह बात सही है कि मैं व्यक्तिगत रूप से तेजसिंह को नहीं जानता था। हमने उससे खसरा जमाबंदी की नकल मंगा ली थी, उसे देखकर ही रजिस्ट्री करा ली थी। दिनांक 4/12/2000 को बयानामा की लिखा पढ़ी हुई थी वकील साहब के पास उनको तेजसिंह लेकर गया था। बयानामा की लिखापढ़ी हुई थी उस समय में स्वयं तेजसिंह, हजारीसिंह व वकील साहब राजेन्द्र राणा भी मौजूद थे। यह कहना गलत है कि बयानामा में उसका नाम बतौर गवाह उसका नाम नहीं हो औरों के हस्ताक्षर के पश्चात उसका नाम लिखा गया था। वह प्रदर्श 1 को नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि उसे अब कम दिखाई देता है। नजर कमजोर हुये 2 साल हो गये हैं। 50,000 रु. तेजसिंह ने वकील साहब के समक्ष लिखा पढ़ी के वक्त दिये थे, बयनामा टाईप कराया था। दिनांक 4/12/2000 को समय करीब 12 बजे के बाद बयनामे की लिखा पढ़ी करायी थी। बयनामा करने के लिये वे उसी दिन धौलपुर गये थे, परन्तु समय अधिक होने के कारण पंजीयक महोदय श्री छोंकर साहब ने कार्यालय बंद कर दिया था। धौलपुर से हम सैपऊ बयनामा कराने के लिये जीप से आये थे, उस जीप में वह स्वयं नरेन्द्र सिंह, तेज सिंह, हजारी मौजूद थे। सैपऊ में मेरी और कोई जमीन नहीं है। पुरैनी की जमीन आगे मिलती है हम उसे भी ले लेते क्योंकि हम जमीन खरीदते हैं। हम जमीन अपने खेती बाड़ी के लिए खरीदते हैं। 40,000 रु. नोटों की गड्डी ने सैपऊ से निकाल कर नरेन्द्र को दिये थे और नरेन्द्र सिंह ने 40,000 रु. वकील साहब के बिस्तर पर तेजसिंह को दिये थे, उसके बाद दूसरे दिन भी बयनामा कराने आये थे यानी 5/12/2000 को आये थे लेकिन तेजसिंह नहीं आया था 4/12/2000 व 5/12/2000 को क्या दिया था, आज मुझे याद नहीं है। दिनांक 5/12/2000 के बाद पंजीयन कराने पंजीयन कार्यालय गये थे, लेकिन तेजसिंह नहीं आया 5/12/2000 के बाद हम 20/12/2000 को पंजीयन कार्यालय गये, लेकिन तेजसिंह ने स्पष्ट मना कर दिया था मैं अब बयनामा नहीं करूँगा क्योंकि उन्हें जमीन का मुझे और अधिक पैसा मिल रहा है और उसके बाद तेजसिंह ने अपने हिस्से का बयनामा जालिम की पत्नी के साथ विक्रय कर दिया, तेजसिंह ने मुझे किस जगह पर मना किया कि मैं बयनामा नहीं करूँगा यह उसे ध्यान नहीं है। दिनांक 20/12/2000 के बाद तेजसिंह द्वारा बयनामा पंजीबद्ध से मना करने

पर उप पंजीयक महोदय ने कोई नोटिस जारी नहीं किया। जिसके बाद उसने यानी नरेन्द्र सिंह ने तेजसिंह को कोई नोटिस नहीं बल्कि दावा की कार्यवाही की, दावा किस दिनांक को पेश किया उसे याद नहीं है। नरेन्द्र की मुलाकात कस्तूरी व किन्नो से कभी नहीं हुई न उनसे कोई झगड़ा हुआ था। यह कहना गलत है कि तेजसिंह द्वारा बयनामा किये जाने के पश्चात् किन्नो व कस्तूरी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में कोई इन्द्राज हो। वह प्रदर्श 12 व 13 के बारे में नहीं बता सकता है, क्योंकि उसकी आंखें कमजोर हो गई हैं। उसकी जानकारी में नहीं है कि विवादित आराजी को कौन जोत रहा है। गवाह इस सुझाव से इन्कार करता है कि नरेन्द्र व तेजसिंह आपस में दोस्त हों।

11. इसके अतिरिक्त वादी द्वारा पी०ड० 3 हजारी को परीक्षित करवाया है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने उपरोक्त शीर्षकीय प्रकरण में बतौर साक्षी वादी अपना शपथ पत्र उपस्थित होकर न्यायालय में पेश किया है। जिस पर ए से बी स्थान पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है। बयनामा प्रदर्श 01 की लिखा-पढी राजेन्द्र सिंह राणा वकील साहब के यहां हुई थी जहां पर तेजसिंह भी मौजूद था जिसको वकील साहब ने बयनामा पढकर सुनाया उसके बाद 40,000/- रुपये प्राप्त करने के बाद प्रदर्श 01 पर तेजसिंह ने अपनी अंगूठा निशानी लगाया और अपना फोटो भी बयनामा की पुश्त पर चस्पा कराया था एवं बयनामे के लिये स्टाम्प भी स्वयं तेजसिंह खरीद कर लाया था। बयनामा प्रदर्श 01 पर ई से एफ उसके हस्स्ताक्षर हैं तथा सी से डी स्थान पर नरेश सिंह व एक्स स्थान पर विक्रेता तेजसिंह ने अपनी अंगूठा निशानी उसके सामने लगाई थी। विवादित आराजी वाके ग्राम पुरैनी में स्थित है जिसका कुल रकवा 05 वीघा 01 विस्वा है जिसमें विक्रेता तेजसिंह का 1/5 हिस्सा था, जिसको विक्रय करने हेतु तेजसिंह ने उसके सामने व नरेश सिंह के सामने 40,000/- रुपये प्राप्त कर बयनामा नरेन्द्र सिंह के हक में लिखा-पढ़ी की थी, लेकिन समय अधिक हो जाने के कारण बयनामा पंजीबद्ध सैंपऊ में नहीं हो सका था उसके बाद उसने व नरेन्द्र सिंह ने कई बार बयमाना को पंजीबद्ध करने को कहा तो तेजसिंह टालमटोल कई दिनों तक करता रहा। उसके बाद तेजसिंह ने बयनामा करने से स्पष्ट मना कर दिया। जिससे स्पष्ट है कि उक्त दोनों गवाहों ने भी अपने शपथ पत्रों के माध्यम से वादी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों का समर्थन किया है। वहीं वादी द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्य बयनामा प्रदर्श 01, निर्णय सिविल न्यायाधीयश (वरिष्ठ खण्ड), धौलपुर प्रदर्श 02, डिक्री सिविल न्यायाधीयश (वरिष्ठ खण्ड),

धौलपुरप्रदर्श 03 संशोधित आवेदन इजराय डिक्री प्रदर्श 04, न्यायालय सिविल न्यायाधशी (वरिष्ठ खण्ड) धौलपुर की आदेशिका प्रदर्श 05, हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना का पत्र प्रदर्श 06 व 06, वकालतनामा प्रदर्श 08, बयनामा विक्रेता तेजसिंह व क्रेता कस्तूरी की प्रतिलिपि प्रदर्श 09, बयनामा विक्रेता कस्तूरी व क्रेता किन्नो की प्रतिलिपि प्रदर्श 10, जमाबंदी की प्रति प्रदर्श 11, नामांतरण की प्रति ग्राम पूरैनी आधार वर्ष 2005 प्रदर्श 12, नामांतरण की प्रति ग्राम पूरैनी आधार वर्ष संवत 2065-2068 प्रदर्श 13, नामांतरण की प्रति ग्राम पूरैनी आधार वर्ष 2006 प्रदर्श 14, जमाबंदी ग्राम पुरैनी आधार वर्ष 2065-2068 प्रदर्श 15, जमाबंदी ग्राम पुरैनी आधार वर्ष 2061-2064 प्रदर्श 16, अपील निर्णय प्रदर्श 17, अपील डिक्री प्रदर्श 18 से वादी वादपत्र में किये गए अभिवचनों को समर्थन प्राप्त होता है। प्रतिवादी व उसके अधिवक्ता न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध दिनांक 18-12-2025 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। इस स्थिति में वादी द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र का खण्डन किसी भी प्रकार से नहीं हुआ है और ना ही वादी द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य का खण्डन हुआ है। वादी की उपर्युक्त साक्ष्य प्रतिवादी की साक्ष्य के अभाव में अकाट्य रही है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, मुख्य परीक्षा के समर्थन में प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वादी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में एकपक्षीय रूप से सफल रहा है। अतः उक्त विचारणीय बिन्दु वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरुद्ध तय किया जाता है।

विवाद्यक संख्या-02

2. क्या वादी उक्त विक्रय पत्र की पालना में सदैव तैयार व तत्पर रहा?

11. उक्त विवाद्यक को सिद्ध करने का भार वादी पर था। उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में बहस एकतरफ सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि विचारणीय बिन्दु सं० 01 वादी के पक्ष में तय किया गया है, जिसका विस्तृत रुप से विवेचन विवाद्यक सं० 01 का निस्तारण करते सयम किया जा चुका है। अतः विवाद्यक सं० 02 का निर्वचन करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः विवाद्यक सं० 02 वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

विवाद्यक संख्या-03

3. क्या वादी प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है कि वह विवादित भूमि के 1/5 भाग (तेजसिंह के हिस्से) का विक्रय अथवा अन्तरण अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं करें?

12. उक्त विवाद्यक को सिद्ध करने का भार वादी पर था । उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में बहस एकतरफ सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि विचारणीय बिन्दु सं० 01 व 02 वादी के पक्ष में तय किये गए हैं, जिसका विस्तृत रुप से विवेचन विवाद्यक सं० 01 व 02 का निस्तारण करते समय किया जा चुका है। अतः विवाद्यक सं० 03 का निर्वचन करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः विवाद्यक सं० 03 वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

विवाद्यक संख्या-04

4 क्या वादी तेजसिंह द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र की पालना कराये जाने के परिणामस्वरूप परिणामजन्य अनुतोष विक्रय पत्र को शून्य व निष्प्रभावी घोषित कराने का अधिकारी है?

13. उक्त विवाद्यक को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था, परंतु प्रतिवादी व उसके अधिवक्ता के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध दिनांक **23-11-2023** को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अतः विवाद्यक सं० 04 प्रतिवादी के विरुद्ध तय किया जाता है।

विवाद्यक संख्या-05 व 06

5. क्या वादी द्वारा पूर्ण न्याय शुल्क अदा नहीं किया गया है ?

6. क्या न्यायालय को यह वाद सुनने का श्रवणाधिकार नहीं है?

14. उक्त विवाद्यकों का निस्तारण साक्ष्य की पुनर्रावृत्ति से बचने हेतु एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। उक्त दोनों विवाद्यकों को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था, परंतु प्रतिवादीगण व उसके अधिवक्ता के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध दिनांक **18-12-2025** को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अतः विवाद्यक सं० 05 व 06 प्रतिवादी के विरुद्ध तय किया जाता है।

अनुतोष

15. हस्तगत वाद में चूंकि विवाद्यक सं० 01, 02, 03 व 04 वादी के पक्ष में विनिश्चित किये गए हैं तथा विवाद्यक सं० 05 व 06 को साबित करने का

भार प्रतिवादीगण पर था, उसको साबित करने में प्रतिवादीगण असफल रहा है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में एक पक्षयी डिक्री किये जाने योग्य है।

-आदेश-

16. अतः वादी नरेन्द्र की ओर से प्रस्तुत हस्तगत वाद वाद वास्ते वास्ते यथावत पालना संविदा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण एकक्षीय रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादीगण स्व० तेजसिंह द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 04.12.2000 की पालना करते हुए विवादित भूमि के 1/5 भाग का विक्रय पत्र वादी के पक्ष में विधिपूर्वक निष्पादित व पंजीबद्ध करायें तथा वादी को उक्त भूमि का आधिपत्य प्रदान करें। साथ ही प्रतिवादीगण विवादित भूमि का अन्य किसी के पक्ष में अंतरण करने से स्थायी रुप से प्रतिबंधित किया जाता है एवं तेजसिंह द्वारा कस्तूरी के पक्ष में एवं कस्तूरी द्वारा किन्नो के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र वादी के विरुद्ध शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाते हैं। उक्तानुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा वादी पक्ष स्वयं वहन करे।

(रेणु कुमारी गोयल)
सिविल न्यायाधीश,सैंपऊ
धौलपुर राज०

17. यह निर्णय आज दिनांक 12-03-2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया व हस्ताक्षरित किया गया।

(रेणु कुमारी गोयल)
सिविल न्यायाधीश,सैंपऊ
धौलपुर राज०

RAVI KANT
Stenographer 3rd
"Authenticated Document"
Digitally signed by RAVI KANT
Date: 2026.03.12 16:00:00 +0530